संख्या- 2144/69-1-12-14(24)/10

प्रेषक,

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग

लखनऊ दिनांक –22 नवम्बर, 2012

विषयः– **मैनुअल स्केवेंजरों के सर्वेक्षण तथा शुष्क शौचालयों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 1080/क0नि0प्र0/26–03–12–7(1)/07 टी0 दिनांक 28 अगस्त 2012 द्वारा प्रदेश में नगरीय/शहरी क्षेत्रों के स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों का सर्वेक्षण/चिन्हीकरण का कार्य नगर विकास विभाग द्वारा करने के निर्देश दिये गये हैं तथा वर्ष 2011 की जनगणना में हाउस लिस्टिंग विवरण के आधार पर शुष्क शौचालयों के सर्वेक्षण कराने के भी निर्देश दिये गये हैं। यह कार्य 3 माह में पूर्ण किया जाना है तथा उक्त सर्वेक्षण अवधि की समय सीमा दिनांक 28.11. 2012 को समाप्त हो रही है। इन आदेशों के क्रम में अभी तक मात्र 26 जनपदों से सर्वेक्षण की अंतरिम सूचना ही प्राप्त हुयी है व अन्य जनपदों से सूचना अप्राप्त है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

2– प्राथमिक रिपोर्टों में अधिकांश जनपदों में कराये गये सर्वेक्षण में काफी बड़ी संख्या में शुष्क शौचालयों के सम्बन्ध में अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिनका ध्वस्तीकरण कराने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है।

3— अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन आवासीय भवनों में उक्त शुष्क शौचालय पाये गये हैं उनका ध्वस्तीकरण कराते हुये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध "द एम्प्लायमेंट आफ मैन्युअल स्केवेंजर्स एंड कान्सट्रक्शन आफ ड्राई लैट्रिन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट 1993" के अन्तर्गत तत्काल विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय व कृत कार्यवाही की सूचना शासन को भी प्रेषित की जाय।

4— मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) श्रेणी के लाभार्थियों के घरों में शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन हेतु नगरीय निकायवार परियोजना तैयार कर तत्काल निदेशक सूडा को प्रेषित की जाय ताकि संशोधित आई0एल0सी0एस0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से इस हेतु धनराशि की मांग की जा सके।

प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये कृपया सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कराकर नगरीय निकायवार सूचनायें सॉफ्ट प्रति सहित 30.11.2012 तक विशेष वाहक से प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव

पत्रांक एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उपसचिव